(70)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निग -1215- II-16

प्र.क. /2016 निगरानी

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड.
द्वारा आज दि. 18/4/16 को
प्रस्तुत

18-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सोवरन पिता मनबहोरन (मृतक) द्वारा वैध वारिसान–

1– कलावती बेवा सोबरन साहू

2– अरविन्द कुमार पिता सोबरन साहू

3– राजेन्द्र कुमार पिता सोबरन साहू

4– सुनीता पुत्री सोबरन साहू

5– सुषमिता पुत्री सोबरन साहू

आवेदक कमांक 3 व 5 नाबालिक बली संरक्षिका माता कलावती पत्नी सोबरन साहू

निवासीगण– ग्राम टूसा, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.) ——— **आवेदकगण**

बनाम

प्रयागलाल पिता मनबहोरन साहू
निवासी ग्राम टूसा, तहसीहल सिंगरौली जिला सिंगरौली (म.प्र.) ———**अनावेदक**

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्र0क0 955/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.3.2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खसरा नम्बर 787 रकवा 1.08 ग्राम सेमरिया तहसील सिंगरौली में स्थित होकर, आवेदकगण के पिता/पति मृतक सोबरन साहू एंव अनावेदक के स्वत्व स्वामित्व एंव आधिपत्य की होकर, भूमिस्वामी सहखातेदा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1215–दो/16 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–01–17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 955/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अतंर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना क्षेत्राधिकार से बाहय आदेश पारित किया गया गया है। मृतक सोबरन(आवेदक) एवं अनावेदक वर्ष 1994–95 में विवादित भूमि के खसरे के कॉलम नम्बर 3 में 1/2, 1/2 भाग के भूमिस्वामी थे। वर्तमान में मृतक सोबरन साहू के वारिसान(आवेदकगण) रिकॉर्डेड भूमिस्वामी है। अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक के पक्ष में व्यवस्थापन का हवाला देते हुये, आवेदकगण का खसरे से नाम विलोपित किये जाने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया, परन्तु व्यवस्थापन का मूल प्रकरण कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और न ही अपर आयुक्त द्वारा	

व्यवस्थापन प्रकरण का अवलोकन किया गया । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा लगभग 16 वर्ष वाद संहिता की धारा 115–116 के तहत तहसीलदार के समक्ष मृतक सोबरन साहू का नाम विलोपित किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण एवं अनावेदक एक ही परिवार के होकर प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर उभयपक्ष समान भाग पर भूमिस्वामी होकर काबिज है। उक्त भूमि ही आवेदकगण के जीविकापार्जन का मात्र एक साधन है। मृतक सोबरन साहू की मृत्यु के पश्चात अनावेदक, आवेदकगण को उक्त विवादित भूमि से अनाधिकृत रूप से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में आवेदकगण का खसरे के कॉलम नं0 3 में भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज है, जिसे विलोपित किये जाने का अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमियां अनावेदक के भूमिस्वामित्व तथा स्वत्व की तनहा भूमि थी। अनावेदक को देरीना कब्जे के आधार पर दिनांक 15.12.88 को भूमिस्वामी स्वत्व प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, सिंगरौली द्वारा अपने प्र0 क्र0 62/अ–19(4)/88–89 के अंतर्गत भूमिस्वामित्व स्वत्व तथा अधिपत्य प्रदान किया गया, जिसकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामित्व स्वत्व की कॉलम नं0 3 में की गई, तब से अकेले भूमिस्वामी अनावेदक था। लेकिन सन् 94–95 के खसरे

कॉलम नं0 3 में मृतक सोबरन आवेदक क्र0 1 का नाम दर्ज हो गया । जबकि किसी भी सूरत में कथित विवादित भूमि पर सोबरन का कोई हित नहीं था न ही कोई अधिकार था। फिर भी गलत तरीके से खसरे में बिना किसी आदेश के प्रविष्टि कर दी गई। अनावेदक द्वारा अपने स्वत्व व अधिपत्य की भूमि पर गलत प्रविष्टि दर्ज होने के कारण प्रविष्टि के सुधार हेतु संहिता की धारा 115–116 के तहत नायब तहसीलदार को आवेदन पेश किया था । इसके अलावा अनावेदक ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि अनावेदक प्रयागला को वादग्रस्त भूमि नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र0 62/अ–19(4)/88–89 आदेश दिनांक 15.12.88 के द्वारा भूमि स्वामित्व तथा अधिपत्य प्रदान किया गया था, जिसकी प्रविष्टि खसरे के कॉलम नं0 3 में की गई थी। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी केवल अनावेदक का नाम खसरे में दर्ज था। अन्य किसी का नाम दर्ज नहीं था। प्रारूप ग निमय 6 घोषण का प्रारूप में उल्लेख है कि एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि प्रयागलाल तनय मनबहोरन, निवासी–सेमरिया, जिला–सीधी एतत्धीन वर्णित दखल रहित भूमि का भूमिस्वामी हो गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज तहसीलदार के आदेश घोषणा पत्र प्रारूप (ग) नियम 6 के अनुसार अनावेदक प्रयागलाल को वादग्रस्त

भूमि प्र0क्र0 62/अ–192(4)/88–89 आदेश दिनांक 15.12.88 के द्वारा दखल रहित भूमिस्वामी घोषित किया गया, जिसमें भूमि हस्तांतरण एवं व्यपवर्तन प्रतिबंधित किया गया था। पंचशाला खसरा वर्ष 90–91 से 93–94 में अनावेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। पंचशाला खसरा वर्ष 1987–88 एवं 88–89 में नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश की इत्तलयावी दर्ज है, जिसमें अनावेदक वादग्रस्त भूमि का अकेला भूमिस्वामी है। किन्तु वर्ष 93–94 के बाद पटवारी के द्वारा त्रुटिवश वर्ष 94–95 के खसरे कॉलम नं0 3 में आवेदक सोबरन का नाम अंकित किया गया । पटवारी के द्वारा की गई अवैधानिक त्रुटिवश की गई प्रविष्टी को विलोपित करने हेतु अनावेदक एक आवेदन तहसीलदार के न्यायालय में पेश किया गया । तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 115–116 के नियमों का हवाला देकर आवेदन खारिज कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी को भी तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश में त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में लेख किया गया कि धारा 116 के अनुसार विवादित प्रविष्टि से एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का उपबंध है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अनावेदक वादग्रस्त भूमि का अकेला भूमिस्वामी है। वर्ष 1994–95 में पटवारी के द्वारा खसरे में आवेदक का नाम दर्ज किया गया है। सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित आदेश का हवाला अंकित नहीं किया गया है। पटवारी के द्वारा की गई उक्त अवैधानिक त्रुटि को वैधानिक नहीं माना

जा सकता है। इस प्रकार की अवैधानिक प्रविष्टियों से पक्षकारों को परेशान कर मुकदमा में उलझाना न्यायोचित नहीं है। अभिलेखों में दर्ज प्रविष्टि को वैधानिक होना आवश्यक है। अवैधानिक प्रविष्टि का सुधार करना व खसरे को वैधाकिनता के अनुसार अद्यतन करना तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व है। इसकी पृष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र माडा के रा0प्र0क्र0 23/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 30.11.10 एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिंगरौती, जिला–सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 65/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2011 अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2016 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एस0एस0अली)
सदस्य